**भारत सरकार**

**वस्त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अ**तारांकित प्रश्‍न संख्या 1115

**19** दिसम्बर, **2018** को उत्तर दिए जाने के लिए

**हथकरघा क्षेत्र को माल और सेवा कर से छूट**

**1115. श्री प्रशांत नन्दा:**

क्या वस्‍त्रमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र को माल और सेवा कर से छूट देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

**वस्‍त्र राज्य मंत्री**

**(श्री अजय टम्टा)**

भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर बहुसंख्य करों को तर्कसंगत बनाने और कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जीएसटी की शुरुवात की गई है । तद्नुसार यह हथकरघों सहित वस्त्र क्षेत्रों पर भी लागू है । अधिकतर बुनकरों का कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है और इसलिए जीएसटी के अंतर्गत उनका पंजीकरण अपेक्षित नहीं है । हथकरघा बुनकर हैंक यार्न पर जीएसटी का भुगतान करते हैं परंतु अपंजीकृत बुनकर फैब्रिक बिक्री के समय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के पात्र नहीं हैं । इससे बुनकरों के लाभ मार्जिन में कमी आती है ।

वस्त्र मंत्रालय ने इस मामले को राजस्व विभाग के साथ उठाया है कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा हैंक के रुप में प्रयुक्त यार्न को जीएसटी से छूट दी जाए । यह अनुरोध किया गया है कि खादी फैब्रिक कि तरह राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय सरकारी हथकरघा निगमों तथा राज्य स्तरीय शीर्ष हथकरघा समितियों के आउटलेट के माध्यम से बेचे गए हथकरघा फैब्रिक को भी जीएसटी से छूट दी जाए ।